

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। प्रार्थी पक्ष को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 के अन्तर्गत अभियुक्त के तलवाना नोटिस जरिए रजि०एडी० डाक प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय हाजा के पत्र दिनांक 16.03.2026, 25.03.2026 को लिखा गया था। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय हाजा में अभियुक्त के तलवाना नोटिस आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रार्थी पक्ष को उक्त पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश भी प्रदान किये गये थे। प्रार्थी पक्ष प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 के अन्तर्गत तलवाना नोटिस प्रस्तुत करें, तलवाना सम्मन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।</p> <p>Order 9 Rule 5 of the Code of Civil Procedure (CPC) mandates that if a plaintiff fails to apply for fresh summons within 7 days after the original summons is returned unserved, the court shall dismiss the suit against that defendant, unless the plaintiff satisfies the court about the defendant's evasion or other valid reasons. The plaintiff must apply for a fresh summons within seven days of the unserved summons being returned.</p> <p>If the plaintiff fails to apply for fresh summons within this time, the court is obligated to dismiss the suit against the unserved defendant.</p> <p>प्रार्थी पक्ष द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 के तहत भी 90 दिवस से अधिक का समय होने के उपरान्त भी न्यायालय हाजा में अभियुक्त के तलवाना नोटिस प्रस्तुत नहीं किए गये एवं ना ही प्रार्थी पक्ष द्वारा अभियुक्त के तलवाना नोटिस प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में अथवा अवधि बढ़ाने/शिथिलता हेतु कारण सहित कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी पक्ष को सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी प्रतिवादी (अभियुक्त) के निवास का पता लगाने में विफल रहा हो।</p> <p>प्रकरण में न्यायालय हाजा में प्रकरण के संबंध में कार्यालय जिला कलक्टर, सर्वाई माधोपुर को इस संबंध में प्रार्थी/अभिहित अधिकारी को भी पैरवी /तलबी हेतु अनुरोध/समुचित कार्यवाही हेतु बार-बार लिखा जाता रहा है, इसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा बार-बार न्यायालय करी आदेशीका का भी अवहेलना किये जाने के कारण प्रकरण स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा न्यायालय मुद्रा व हस्ताक्षर सहित सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

